न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/5086/2004/जयपुर

1 नारायण पुत्र भोमाराम
2 लादू पुत्र भोमाराम
3 नानूडा पुत्र भोमाराम
4 हीरा पुत्र भोमाराम
55 पेमा राम पुत्र नारायण सभी जाति जाट निवासी ढाणी बाकली तन जोबनेर तहसील फुलेरा जिला जयपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

नानूडा पुत्र रूपा जाति कुमावत निवासी ढाणी बाकली तन जोबनेर तहसील फुलेरा जिला जयपुर

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री वी.एस. राठौड वकील अपीलार्थीगण
श्री बी.एल.वर्मा वकील प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः.22.5.2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 197/02 में पारित निर्णय दिनांक 1.10.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी ने एक वाद अधिनियम की धारा 183 के अनतर्गत उपखण्ड अधिकारी, साम्भर लेक के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 222/6 रकबा 31 बीघा 7 बिस्वा वाके बबेरवालान की ढाणी तहसील फुलेरा वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। उक्त आराजी के पश्चिम में प्रतिवादी अपीलार्थीगण के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 139 स्थित है।

प्रतिवादीगण ने वादी की विवादित आराजी खसरा नम्बर 222/6 के 15 बिस्वा भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर लिया है। अतः प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं करने पर विचारण न्यायालय ने वादी की एकतरफा बहस सुनकर निर्णय दिनांक 26.8.2002 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इसके विरूद्ध प्रतिवादी अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 1.10.2004 से खारिज की गई। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना कथन किया गया जिसके आधार पर एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय दिया गया है। परन्तु हिदायत पैरवी करने का नोटिस प्रतिवादी अपीलार्थीगण को नहीं दिया गया जबकि नोटिस दिया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में प्रतिवादी अपीलार्थीगण अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गये। विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है। प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण द्वारा वादी प्रत्यर्थी की खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं किया गया है। प्रतिवादी अपीलार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 222/6 पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने साक्ष्यों को देखे बिना ही निर्णय पारित किया है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। वकील द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना व्यक्त किये जाने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने तक की लम्बी अवधि तक प्रतिवादी अपीलार्थीगण ने अपने वकील से सम्पर्क नहीं किया हो, नहीं माना जा सकता। तकनीकी आधारों पर प्रकरण का निर्णय नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी अपीलार्थीगण द्वारा वादी प्रत्यर्थी की खातेदारी की आराजी पर जबरन अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पखावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हे कि प्रतिवादीगण के वकील द्वारा दिनांक 25.6.2001 को हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किये जाने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध

एकतरफा कार्यवाही की गई है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि हिदायत पैरवी नहीं होना व्यक्त करने से पूर्व वकील प्रतिवादीगण ने प्रतिवादीगण को नोटिस सूचना आदि दिया हो। जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार वकील द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना व्यक्त करने पर पक्षकार को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। हिदायत पैरवी नहीं होना व्यक्त करने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो गई जिससे प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका। न्यायहित में पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में हम यह अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

7. प्रतिवादीगण को दिनांक 28.12.2000 को 50 रूपये की कोस्ट पर अवसर दिया गया था। वाद 1999 में प्रस्तुत हुआ था। ऐसी स्थिति में यह उचित प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण दिनांक ... . को 50 रूपये की कोस्ट जमा कराकर अपना जबाबदावा प्रस्तुत करें। यदि उस दिन अवकाश है तो आगामी प्रथम कार्य दिवस को जबाब प्रस्तुत करें। जबाब हेतु ओर कोई अवसर देय नहीं होगा किन्तु उपखण्ड अधिकारी किसी विधिक आवश्यकता का निरूपण कर जबाबदावा हेतु तदनुसार प्रकरण के पुराना होने को दृष्टिगत रख स्वतः स्पष्ट आदेश द्वारा अवसर दे सकेंगें। प्रकरण 1999 से लम्बित होना दृष्टिगत रख उपखण्ड अधिकारी इसमें छोटी छोटी तारीख पेशी देकर प्रकरण का नियमानुसार यथाशीघ्र निस्तारण करें।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर का निर्णय दिनांक 1.10.2004 तथा उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक का निर्णय व डिक्री दिनांक 26.8.2002 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक को प्रति प्रेषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर दोनों पक्षो को सुनकर विधि अनुसार कार्यवाही कर निर्णय पारित करें।

9. दोनों पक्षो को निर्देश दिये जाते हैं कि वे विचारण न्यायालय में दिनांक ..... को उपस्थित रहें।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष